

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

अधिसूचना संख्या—2/PMC/NWM/24/2009..... २४५

/राँची, दिनांक ०५/०५/१९

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के National Action Plan on Climate Change (NAPCC) के अन्तर्गत National Water Mission के समुचित क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड राज्य में State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector के प्रबोधन हेतु अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में SSAP Monitoring Committee का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख—1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख—2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
4.	SSAP हेतु नोडल संस्थान, IIT, Dhanbad के नामित नोडल पदाधिकारी।	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची।	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, योजना, आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची।	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल सं०-१, राँची—सह—नोडल पदाधिकारी, SSAP, जल संसाधन विभाग, राँची।	सदस्य सचिव
8.	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची।	सदस्य
9.	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नामित पदाधिकारी।	सदस्य
10.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के नामित पदाधिकारी।	सदस्य
11.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के नामित पदाधिकारी।	सदस्य
12.	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची।	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, राँची।	सदस्य
14.	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नामित सदस्य।	सदस्य
15.	नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
16.	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
17.	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
18.	उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
19.	परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
20.	पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
21.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
22.	निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राँची।	सदस्य

23.	निदेशक, JSAC, राँची।	सदस्य
24.	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
25.	भवन निर्माण निगम, राँची।	सदस्य
26.	DRM, राँची/धनबाद।	सदस्य
27.	निदेशक, Ranchi Airport Authority, Ranchi.	सदस्य
28.	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
29.	खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य

## 2. SSAP Monitoring Committee का कार्य निम्नवत् होगा –

State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector के प्रारूपण हेतु Core Drafting Committee का गठन करना तथा राज्य नोडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना।

SSAP प्रारूपण के प्रगति की नियमित समीक्षा करना।

SSAP के लिए गठित State Level Steering Committee को अद्यतन स्थिति एवं आवश्यक जानकारी से अवगत कराना।

SSAP के स्टेट्स रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन तथा इसमें उचित सुधार हेतु परामर्श देना।

3. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.10.2018 में मद सं०-०४ के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

✓ ५.५.१  
(अरुण कुमार सिह)  
अपर मुख्य सचिव

अधिसूचना संख्या–2/PMC/NWM/24/2009

/राँची, दिनांक ०५।०५।१९

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-१, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-२) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/SSAP हेतु नोडल संस्थान, IIT, Dhanbad के नामित नोडल पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, बांध एवं गोरु रूपांकण अंचल सं०-१, राँची-सह-नोडल पदाधिकारी, SSAP जल संसाधन विभाग, राँची/निदेशक भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची/निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, राँची/प्रदूषण नियन्त्रण पर्षद/नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड,

राँची/उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/ पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राँची/ निदेशक, JSAC, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ भवन निर्माण निगम, राँची/ DRM, राँची/धनबाद/ निदेशक, Ranchi Airport Authority, Ranchi/ उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक—2/पी०एम०सी०/NWM-24/2009 (Part-I).....२४५.....राँची/दिनांक—०५/०५/१९  
प्रतिलिपि—वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव